



संतकबीरनगर पुलिस



प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 06.07.2024

जनपद – संतकबीरनगर

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा वारण्टी नाम शिवराम पुत्र संतराम निवासी रहेरवा गरथवलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।**

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री दिलीप सिंह, का0 ब्रजेश कुमार वर्मा, का0 अनुप शर्मा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।**

पीआरवी आफ द डे

- ***पीआरवी 1495 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 05 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल-*** पीआरवी 1495 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत कुड़ी मनमन से कालर ने इवेन्ट संख्या 33898 से किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 05 व्यक्तियों (1- तारा पत्नी रामकरन, 2- गुड़िया पुत्री हरिवंश, 3- रीना पुत्री हरीवंश, 4- कुच्चा देवी पत्नी हरीवंश, 5-अनीता पुत्री हरीवंश, निवासी दीमापुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल हुए लोगो को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए लोगो को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
- ***पीआरवी स्टाफ-*** मु0आ0 संतोष कुमार पटेल, हो0चा0 देवेन्द्रनारायण शुक्ल।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 72 वाहनों से 89,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.07.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / सदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 72 वाहनों से 89,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।